न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 54/2021
युसुफ पुत्र श्री रमजान जाति मेव मुसलमान निवासी कोटला तहसील नुहूँ जिला नुहूँ हरियाणा
...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए सहायक लोक अभियोजक, दौसा
...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 278/2021 पुलिस थाना सदर जिला दौसा जुर्म दफा 3/8, 5/8 राजस्थान ऊँट(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015

उपस्थित:1. श्री विजेन्द्र सिंह चेची, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राम गिलास मीना, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:04.10.2021

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 04.09.2021 को 16 ऊँट भरकर ले जा रहे ट्रक वाहन संख्या एचआर 55–डब्ल्यू–8561 को राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के तहत जुर्म में जब्त कर लिया गया। पुलिस थाना सदर उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति पैरोकार सरकार को दी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 04.09.2021 को 16 ऊँट भरकर ले जा रहे वाहन संख्या एचआर 55 –डब्ल्यू – 8561 ट्रक को राजस्थान ऊँट(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 3/8 व 5/8 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त ऊँटों को प्रार्थी द्वारा कत्लखाने नहीं ले जाया जाकर लालसोट से भरकर ऊँटों का बेचान करने के लिए जा रहे थे। प्रार्थी द्वारा ऊँटों की खरीद फरोख्त कर अन्यत्र बेचान करने जा रहा था। पुलिस थाना सदर द्वारा जब्तशुदा उक्त वाहन थाने में खडा–खडा खराब हो रहा है। वाहन के खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उक्त वाहन की पुलिस को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी को जब्तशुदा वाहन संख्या एचआर 55–डब्ल्यू 8561 ट्रक को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

सुपुर्दगी प्रा0 पत्र सं0 54/2021

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राजस्थान ऊँट(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 2 डी के अंतर्गत वाहन सुपुर्दगी की शक्तियॉ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय को प्राप्त है। पैरोकार सरकार द्वारा यह भी दलील दी कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या एचआर 55 डब्ल्यू 8561 के वाहन स्वामी से तफ्तीश किया जाना शेष है। व मुल्जिम युसुफ व सलमान से तफतीश के बाद लालसोट में कौथून रोड पर खाली जमीन से एवं मिटटी के टीले से ट्रक जिस व्यक्ति ने भरवाये हैं, उनसे भी तफ्तीश किया जाना शेष है। यदि जब्तशुदा वाहन को छोड दिया जाता है तो प्रकरण के अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। अभी पुलिस अनुसंधान में वक्त लगने की सभावना के चलते वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 04.09.2021 को जुर्म धारा 3/8 व 5/8 राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 16 ऊँटों को मय ट्रक वाहन संख्या एचआर 55 डब्ल्यू–8561 जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 278/2021 दर्ज की गई । पुलिस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ठ होता है कि प्रकरण में अभी तक पुलिस अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। प्रकरण में अभी तक पूर्ण अनुसंधान नहीं होने व चालान पेश नहीं होने के कारण हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है। प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस केस डायरी पुलिस थाना सदर जिला दौसा को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा